(ii) REPORTED FAMINE CONDITIONS IN RAIPUR AND BILASPUR DISTRICTS OF MADHYA PRADESH

श्री शरद यादव (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़-इलाका कई सालों से अकाल से ग्रसित रहा है । लेकिन इस समय जितने बड़े पैमाने पर अकाल की छाया वहां पर है उतना शायद पहले कभी नहीं रहा । अभी मैं एक कार्यक्रम में उधर गया था । बिलासपुर जंक्शन स्टेशन से हजारों लोग काम की तलाश में अपने गांवों को छोड़ कर भाग रहे हैं । यानी जो छत्तीसगढ़ कभी धान का कटोरा कहलाता था आज वह अकाल का कटोरा है ।

अकाल के मामले में हिन्दुस्तान में कोई नीति बनती नहीं है । हमेशा जो नीति बनती है वह तात्कालिक होती है ....

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसी को पढ़िए ।

श्री शरद यादव : मेरा अनुरोध है कि अभी प्रान्तीय सरकार या केन्द्रीय सरकार कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है । यहां जो कृषि मंत्री बैठे हैं उन से मेरा यह कहना है कि रायपुर और बिलासपुर जिले और उनमें जांजगीर तहसील और बलौदा बाजार, इन में अकाल का बहुत ज्यादा असर है ...

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आपका क्षेत्र कहां पर है ?

श्री शरद यादव : मेरा क्षेत्र तो अलग है । लेकिन अकाल जैसी स्थिति पर क्षेत्र नहीं चलता । अकाल तो समूचे देश का दर्द होता है ।

मेरा यह कहना है कि छत्तीसगढ़ के बारे में सारे अखबार रंगे हुए हैं लेकिन सरकार का ध्यान उस पर जाता नहीं है । अकाल के बारे में घोषणा करने की जो सरकार की नीति है वह बहुत ही घटिया किस्म की है । हमारे यहां जो पटवारी होते हैं उनके हाथ में दे दिया जाता है कि अकाल है या नहीं यह लिख कर भेज दो । अब पटवारी इतना छोटा, इतना अदना आदमी है कि सरकार अगर चाहे कि अकाल मत लिखो तो वह लिख नहीं सकता । इसलिए मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ के इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर तत्काल राहत पहुंचानी चाहिए, वहां से बहुत बड़े पैमाने पर जो पलायन हो रहा है उसको रोकना चाहिए, भुखमरी से जो मरने वाले लोग हैं उनको बचाना चाहिए और फूड फार वर्क की योजना वहां बहुत बड़े पैमाने पर चलानी चाहिए ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री शरद यादव : राज्य सरकार भी सो रही है और केन्द्र की सरकार भी सो रही है । कोई सरकार जागे यही मेरा कहना है । कृषि मंत्री यहां बैठे हैं, इस पर उन्हें बयान देना चाहिए । आप उन से कहिए कि वह इस पर कुछ बोलें ।

(iii) DEMANDS OF OLD AGE PENSIONERS

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I wish to draw the attention of the Prime Minister, the Finance Minister and the Government to the present plight of old age pensioners who are on the verge of starvation and beggary.

Firstly, there is the problem of the pensioners who have commuted part of the pension. In spite of several appeals, individually and collectively by various pension associations for the restoration of the commuted portion after the lump sum amount paid in commutation is realised (which is normally after a period 10 to 11 years), the Government is turning down their justifiable request. The plea made by Government is that it is a contract between the Government and the pensioner as enunciated in the outmoded Pension Act of 1871. So many Acts and Laws are changed, the Constitution has been amended 44 times but the 1871 Pension Act is sacred. Of course, some amendments have been made which safeguard pensions of officers who may choose to become Ministers or Members of Parliament, but those who had commuted their pensions cannot get the full pension even after the full amount commuted has been repaid to Government! Today there are these few people who have, in effect, repaid the Government many times over what they have drawn as commuted pension.

An Accounts Officer, aged 64 years, retired from the office of the D/G P&T. He could be said to have paid as much as Rs. 12,026 upto July, 1977. He retired in 1957 and drew Rs. 6000 and could be said to have repaid the Government Rs. 26,000. A Deputy